यूपीसीडा की दरें नगर निगम के वसूले जाने वाले शुल्क से ज्यादा नहीं होंगी

34 औद्योगिक क्षेत्रों से नगर निगम नहीं यूपीसीडा वसूलेगा सेवा शुल्क

फैसला

लखनऊ, विशेष संवाददाता। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) अब राज्य के 34 से अधिक औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी नगरीय सुविधाएं विकसित करेगा। इसके साथ ही वहां रहने वाले श्रमिकों व अन्य नागरिकों से रखरखाव शुल्क या सेवा शुल्क वसूलेगा। यह काम अभी तक नगर निगमों के जिम्मे था। अब यह जिम्मेदारी यूपीसीडा के पास आ गई है। यूपीसीडा की दरें नगर निगम द्वारा वसूली जाने वाली दरों से ज्यादा नहीं होंगी।

मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को लखनऊ में लोकभवन में हुई बैठक में नगर निगम से प्राप्त औद्योगिक क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं एवं म्यूनिस्पल्टी सर्विस उपलब्ध कराने संबंधी प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया। इसके साथ ही यूपीसीडा का 2025-26 का 6190 करोड़ रुपये का बजट पास हो गया।

पिछले साल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 34 औद्योगिक क्षेत्रों की जिम्मेदारी शहरी निकायों से लेकर यूपीसीडा को देने का निर्णय हुआ था। इसकी वजह थी कि संसाधनों की कमी के चलते इन क्षेत्रों का रखरखाव ठीक से हो नहीं पा रहा था। यूपीसीडा यहां इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित कर बेहतर रखरखाव करेगा। इसमें कूड़े के निस्तारण पर खास जोर होगा। सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार, बेंच की स्थापना, प्रदूषण निगरानी और पब्लिक अड्रेस सिस्टम, ट्रैफिक लाइट, हरियाली रखरखाव, स्ट्रीट लाइट आदि की व्यवस्था होगी।

इन क्षेत्रों का जिम्मा यूपीसीडा के पास

राज्य के कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, अयोध्या, अमरोहा, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, बरेली समेत कई जिलों के 34 औद्योगिक क्षेत्रों में यूपीसीडा शहरी निकायों की जिम्मेदारी खुद संभालेगा। माना जा रहा है कि प्रति भूखंड औसतन 25 रुपये मीटर की सालाना दर से सर्विस शुल्क वसूला जाएगा। लखनऊ के तीन क्षेत्र चिनहट, अमौसी व सरोजनीनगर की जिम्मेदारी यूपीसीडा की होगी। हर औद्योगिक क्षेत्र में औसतन 250 के आसपास फैक्ट्रियां हैं।

आवंटियों को राहत

यूपीसीडा ने एक अन्य अहम निर्णय के तहत वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत अति तीव्र, तीव्र एवं मंद गति के औद्योगिक क्षेत्र संबंधी नीति में बदलाव कर आंवटियों को राहत दी है। इसके तहत अब 75 प्रतिशत से कम आवंटित औद्योगिक क्षेत्रों को मंद गति वाली श्रेणी में रख दिया गया है। इसमें भूमि का आवंटन शासन के निवेश मित्र पोर्टल से होगा तथा ईएमडी के मद में 5 प्रतिशत धनराशि प्राप्त करते हुए आवंटन किया जायगा तथा आवंटन के बाद 20 प्रतिशत धनराशि 60 दिन में प्राप्त कर इकाई स्थापना के लिए लेंगे।

■ संसाधनों की कमी से नहीं हो पा रहा था रखरखाव

06 हजार एक सौ नब्बे करोड़ रुपये का बजट बैठक में पास

55 जिलों में यूपीसीडा 156 औद्योगिक क्षेत्रों का प्रबंधन कर रहा

> यूपीसीडा के मंजूर बजट से राज्य के अलग-अलग औद्योगिक क्षेत्रों में नए प्रोजेक्ट्स को शुरू करने में मदद मिलेगी। साथ ही इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
> **मयूर माहेश्वरी,** सीईओ अधिकारी

प्रयागराज की योजना का ले आउट मानचित्र मंजूर

इंडस्ट्रियल मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर प्रयागराज की योजना का ले आउट मानचित्र मंजूर हो गया है। सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र उतेलवा अमेठी, एटीएल प्रतापगढ़ के अलावा कताई मिल बांदा, कताई मिल मेजा को यूपीसीडा को दिया था।